**संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन**

**कर्मचारी चयन बोर्ड**

**दमण - 396220**

**सं. 77/SSB/DDD/EDU-PST/UPST(EM)/2025-26/196** **दिनांक : 22/11/2025**

# विज्ञापन संख्या : 04

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन, नीचे उल्लिखित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है :

| क्र. सं. | पदों के नाम | रिक्तियों की संख्या | श्रेणी | शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं | आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **प्राइमरी /अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) ग्रुप-बी (अराजपत्रित, अलिपिकीय) वेतन मैट्रिक्स में लेबल-6 (रू. 35,400/- 1,12,400/-)** | पीएसटी-119<br>यूपीएसटी-162<br><br>**(नीचे दिए गए विवरण के अनुसार)** | **पीएसटी**<br>अनारक्षित- 45***<br>एससी- 19<br>एसटी- 10<br>ओबीसी- 32***<br>ईडब्लूएस- 13<br>**कुल- 119**<br><br>**यूपीएसटी (भाषा)**<br>अनारक्षित- 29****<br>एससी- 08<br>एसटी- 05<br>ओबीसी- 17<br>ईडब्लूएस- 11<br>**कुल- 70**<br><br>**यूपीएसटी (साइंस/ मैथ्स)**<br>अनारक्षित- 18**<br>एससी- 06<br>एसटी- 03<br>ओबीसी- 15*<br>ईडब्ल्यूएस- 05<br>**कुल- 47**<br><br>**यूपीएसटी (एस.एस.)**<br>अनारक्षित- 10<br>एससी- 10<br>एसटी- 04<br>ओबीसी- 18*<br>ईडब्ल्यूएस- 03<br>**कुल- 45** | **प्राइमरी स्कूल शिक्षक (कक्षा 1 से 5) के लिए :-**<br>**(क)** न्यूनतम 50% अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12 उत्तीर्ण) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)<br>**या**<br>न्यूनतम 45% अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12 उत्तीर्ण) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो एनसीटीई (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार हो ।<br>**या**<br>न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12 उत्तीर्ण) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)।<br>**या**<br>न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12 उत्तीर्ण) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) ।<br>**या**<br>स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) ।<br><br>**(ख)** एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार या भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद के लिए लागू सी.टी.ई.टी. या अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना चाहिए।<br><br>**(ग)** अभ्यर्थी को माध्यमिक स्तर पर संबंधित माध्यम में अध्ययन किया होना चाहिए । | 30 वर्ष से अधिक नहीं ।<br><br>नोट : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. <u>अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (कक्षा 6 से 8) के लिए :</u>-<br><br>**(क)** स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) ।<br>**या**<br>स्नातक में या परास्नातक में कम से कम 50% अंक तथा बी.एड. ।<br>**या**<br>न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.), जो इस संबंध में समय-समय पर जारी एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानक एवं क्रियाविधि) विनियम के अनुसार हो ।<br>**या**<br>न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12 उत्तीर्ण) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)।<br>**या**<br>न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12 उत्तीर्ण) एवं 4 वर्षीय बी.ए.एड./बी.एससी.एड./बी.कॉम.एड.।<br>**या**<br>न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और बी.एड. (विशेष शिक्षा) ।<br><br>**(ख)** अभ्यर्थी को एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार या भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद के लिए लागू सी.टी.ई.टी. या अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना चाहिए।<br><br>बशर्ते कि स्नातक में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 29 जुलाई, 2011 से पहले शिक्षा स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हो ।<br><br>(ग) अभ्यर्थी को माध्यमिक स्तर पर संबंधित माध्यम में अध्ययन किया होना चाहिए । (गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषा विषयों के लिए लागू नहीं)<br><br>**नोट :-**<br>1. अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (गणित /विज्ञान विषय) के लिए अभ्यर्थी के पास बी.एससी. की डिग्री होनी चाहिए । | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (भाषा) के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित भाषा में बी.ए. की डिग्री होनी चाहिए ।<br>3. अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (सामाजिक विज्ञान विषय) के लिए अभ्यर्थी के पास बी.ए./बी.कॉम. की डिग्री होनी चाहिए । | |

**लाइजन अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के अनुसार रिक्तियों की संख्या और आरक्षण :**

| क्र.सं. | पद | अनारक्षित | एससी | एसटी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राइमरी स्कूल शिक्षक | 45*** | 19 | 10 | 32*** | 13 | 119 |
| 2 | अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (भाषा) | 29**** | 08 | 05 | 17 | 11 | 70 |
| 3 | अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (साइंस/मैथ्स) | 18** | 06 | 03 | 15* | 05 | 47 |
| 4 | अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (सामाजिक विज्ञान) | 10 | 10 | 04 | 18* | 03 | 45 |
| | **कुल -** | **102** | **43** | **22** | **82** | **32** | **281** |
| **नोट :- ऊपर दी गई सारणी में * की संख्या उसमें दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए आरक्षित पद की संख्या दिखाती है।** | | | | | | | |
| **ऊपर दिए गए सभी पद सिर्फ़ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए हैं** | | | | | | | |

**PH* - क्षैतिज आरक्षण (हॉरिज़ॉन्टल रेज़र्वेशन)**

PH उपयुक्तता और आरक्षण केवल निम्नलिखित श्रेणियों के अस्थि-विकलांग या लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी (40% और अधिक) वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा:

(क) OL - एक पैर प्रभावित (दायाँ या बायाँ)।
(ख) OA - एक हाथ प्रभावित (दायाँ या बायाँ)। (इस शर्त के अधीन कि एक हाथ से लिखने की क्षमता हो)
(ग) MW - मांसपेशीय दुर्बलता एवं सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
(घ) OLA - एक पैर और एक हाथ प्रभावित। (इस शर्त के अधीन कि एक हाथ से लिखने की क्षमता हो)

**आवेदन कैसे करें:-**

1. आवेदन पत्र भरने के लिए लिंक आधिकारिक वेबसाइट **daman.nic.in/ojas** पर नीचे दिखाए गए अनुसार सक्रिय किया जाएगा:
   i) प्राइमरी स्कूल शिक्षक (अंग्रेज़ी माध्यम) के लिए लिंक 03/12/2025 से खुलेंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 01/01/2026 होगी।
   ii) अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (अंग्रेज़ी माध्यम) के लिए लिंक 03/12/2025 से खुलेंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 01/01/2026 होगी।

**नोट :-** उपर्युक्त विज्ञापित रिक्तियों के लिए विस्तृत निर्देश **आधिकारिक वेबसाइट** daman.nic.in/ojas पर उपलब्ध होंगे।

हस्ता./-
संयुक्त सचिव (एसएसबी)
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव.

**नोट : किसी भी विवाद की स्थिति में विज्ञापन का अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा ।**

## अभ्यर्थियों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

1) केवल वही ऑनलाइन आवेदन मान्य माने जाएंगे जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट https://daman.nic.in/ojas पर सफलतापूर्वक भरे गए हों। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपना सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरें, क्योंकि नियुक्ति प्रस्ताव सहित सभी पत्राचार कर्मचारी चयन बोर्ड (SSB) अथवा संबंधित विभाग द्वारा ई-मेल और/या एसएमएस के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कोई भी बहाना, जैसे कि उन्होंने ईमेल चेक नहीं किया और इसलिए समय-सीमा का पालन नहीं कर सके, पर विचार नहीं किया जाएगा।
2) अभ्यर्थी को आवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही प्रस्तुत करना होगा।
3) प्राइमरी / अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक (अंग्रेज़ी माध्यम) के पद हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेज़ी भाषा में ही आयोजित की जाएगी।
4) लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। मेरिट सूची तैयार करने के लिए केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अंक ही माने जाएंगे। अन्य किसी प्रकार के अंक नहीं दिए जाएंगे।
5) अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र अंतिम होगा तथा जारी किया गया प्रवेश पत्र केवल उसी केंद्र के लिए मान्य होगा जो उसमें उल्लिखित है। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, परीक्षा केंद्र का आवंटन/परिवर्तन करना बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में होगा।
6) मेरिट सूची कंप्यूटर आधारित परीक्षा के 100 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक (कट-ऑफ) 33% निर्धारित है।
7) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ही आयु एवं शैक्षणिक योग्यता सहित पात्रता की शर्तों की पूर्ति के लिए निर्णायक तिथि मानी जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व संबंधित प्रमाण पत्र / अंकपत्र प्राप्त हो जाने चाहिए।
8) जिन अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाएगा, उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द कर दी जाएगी तथा भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित करने सहित आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
9) परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
10) जुर्माना (Penalty) :
    कोई भी उम्मीदवार, जिसे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित का दोषी घोषित किया गया है या पाया गया है:
    a) किसी भी माध्यम से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना; या
    b) प्रतिरूपण करना; या
    c) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना; या
    d) मनगढ़ंत दस्तावेज़ या ऐसे दस्तावेज़ जमा करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है; या
    e) ऐसे बयान देना जो गलत या असत्य हैं या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना; या
    f) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना; या
    g) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों को अपनाना; या
    h) उत्तर पुस्तिकाओं में अश्लील भाषा या अश्लील बातें लिखना; या
    i) परीक्षा हॉल में साथी परीक्षार्थियों या पर्यवेक्षकों के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करना; या
    j) परीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियोजित/लगाए गए कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुँचाना;

    ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध उपलब्ध दंडात्मक और अनुशासनात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार को परीक्षा देने से भी वर्जित किया जाएगा।
11) सीसीटीवी फुटेज की जांच के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
12) ग्रुप "बी" के पदों हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा अखिल भारतीय स्तर पर लागू होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र / नवीनतम गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13) विज्ञापित पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसार दी जाएगी।
14) संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के विभागों एवं संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकायों में दैनिक वेतन / अस्थायी / संविदा / कार्यभारित (वर्क चार्ज) आधार पर कार्यरत व्यक्तियों को, संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा नियमित भर्ती (UPSC के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों को छोड़कर) के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।
15) पद का पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट https://daman.nic.in/ojas पर प्रकाशित किया जाएगा। तथापि, यह पाठ्यक्रम केवल संकेतात्मक (indicative) होगा तथा एक शिक्षक से अपेक्षित सामान्य बौद्धिक योग्यता (General Aptitude) से संबंधित अन्य विविध प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
16) आवेदन शुल्क ₹200/- (केवल दो सौ रुपये) होगा जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) के लिए आवेदन शुल्क ₹100/- (निर्धारित शुल्क का आधा) होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क केवल कर्मचारी चयन बोर्ड, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा और यह अप्रतिदेय होगा। जो अभ्यर्थी शुल्क में पूर्ण / आंशिक छूट का दावा करते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनका दावा गलत पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी। शुल्क में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है और इसे बोर्ड द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

17) **दिव्यांगजन / शारीरिक रूप से विकलांग (PH) श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश :**

(i) सभी PH अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर मूल PH (विकलांगता) प्रमाण पत्र तथा उसी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति साथ लानी होगी। यह प्रति केंद्र प्रभारी द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी। केवल वे ही PH अभ्यर्थी, जो उक्त प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में PH अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली रियायतों के पात्र होंगे।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं ई-प्रवेश पत्र में स्वयं को PH श्रेणी में दर्शाता है, परंतु परीक्षा केंद्र पर विकलांगता प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे PH अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त समय की सुविधा नहीं दी जाएगी।

(iii) PH अभ्यर्थी केवल निर्धारित नियमों के अनुसार ही अतिरिक्त समय की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(iv) विज्ञापन में उल्लिखित पदों के लिए निम्नलिखित विकलांगता (PH) श्रेणियाँ उपयुक्त मानी गई हैं (PH उपयुक्तता एवं आरक्षण - 40% या उससे अधिक विकलांगता):
(क) OL- एक पैर प्रभावित (दायाँ या बायाँ)
(ख) OA- एक हाथ प्रभावित (दायाँ या बायाँ) (इस शर्त के अधीन कि एक हाथ से लिखने की क्षमता हो)
(ग) MW- मांसपेशीय दुर्बलता एवं सीमित शारीरिक सहनशक्ति
(घ) OLA- एक पैर एवं एक हाथ प्रभावित (इस शर्त के अधीन कि एक हाथ से लिखने की क्षमता हो)

18) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु अपनी पात्रता सुनिश्चित करना :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया जाना यह नहीं दर्शाता कि बोर्ड द्वारा उसकी/उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया गया है। अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र केवल उसी केंद्र के लिए मान्य होगा, जो उसके लिए निर्धारित / आवंटित किया गया है।

19) हेल्पलाइन नंबर : 0260-2230098

समय : पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
भोजनावकाश : अपराह्न 01:30 बजे से 02:00 बजे तक

20) विज्ञापन में उल्लेखित तिथि से आधिकारिक वेबसाइट **daman.nic.in/ojas** पर आवेदन पत्र भरने का लिंक सक्रिय किया जाएगा और उपरोक्त विज्ञापित रिक्तियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा।

21) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय यदि कोई तकनीकी या अन्य त्रुटि होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। हालांकि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए समय रहते आवेदन पत्र भरें।

22) यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

23) अभ्यर्थी को एक ही बार आवेदन करना चाहिए। एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

24) आवेदन पत्र भरने के साथ ही अभ्यर्थी इस विज्ञापन की सभी शर्तों से सहमत माना जाएगा। आवेदन पत्र भरने के पश्चात विज्ञापन को चुनौती देना अमान्य माना जाएगा।

25) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट https://daman.nic.in/ojas पर जाकर नवीनतम जानकारी एवं भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त करते रहें।

26) कर्मचारी चयन बोर्ड को किसी भी चरण पर रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन / वापसी करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें पूरे विज्ञापन को रद्द करना भी सम्मिलित है।

27) अभ्यर्थियों को केवल आवंटित परीक्षा केंद्र में ही उपस्थित होना होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

28) अभ्यर्थी का आवेदन तभी मान्य माना जाएगा जब पुष्टि संख्या (Confirmation Number) जेनरेट हो जाए।

29) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को अंतिम सबमिशन से पूर्व भली-भांति जांच लेना चाहिए। एक बार पुष्टि संख्या (Confirmation Number) जेनरेट हो जाने के बाद जानकारी में कोई संशोधन / अद्यतन करना संभव नहीं होगा और इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

30) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने या परीक्षा संबंधी किसी अन्य प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई TA/DA प्रदान नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-
संयुक्त सचिव (एसएसबी)
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव.

नोट : **किसी भी विवाद की स्थिति में इस दिशा-निर्देश का अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा ।**